कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (शाखा–सूचना प्रौद्योगिकी)
सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक / सू.प्रौ. / 715 भोपाल, दिनांक 13/07/18

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

.... (सा.) वनमण्डल

मध्यप्रदेश

विषयः– सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा ब्लॉक नक्शो को डिजिटाईज करने एवं पुष्टि के संबंध में प्रक्रिया।
संदर्भः– सूचना प्रौद्योगिकी शाखा का परिपत्र क्रमांक 776, भोपाल, दिनांक 04.06.2016.

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। परिपत्र के माध्यम से जी.आई.एस. डेटा के निर्माण, संधारण एवं आर्काइव करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। शाखा द्वारा ब्लॉक मेप से डिजिटल नक्शे बनाने के संबंध में मैदानी स्तर पर पुष्टि का दायित्व कार्य आयोजना अधिकारियों को सौंपा गया था।

आपके वनमण्डल में कार्य आयोजना की अवधि पूर्ण नहीं हुई है तथा कार्य आयोजना अधिकारी की नियुक्ति, कार्य आयोजना की प्रचलन अवधि के समाप्त होने के बाद की जायेगी। शाखा द्वारा डिजिटल मानचित्रों की पुष्टि के लिये कार्य आयोजना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारियों द्वारा किये जाने के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. संदर्भित परिपत्र में कार्य आयोजना अधिकारी के लिये तय की गई प्रक्रिया का पालन करते हुये क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी नक्शो की पुष्टि करेंगे।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना (आंचलिक) डिजिटाईजेशन कार्य प्रगति की समिक्षा समय–समय पर करेंगे, साथ ही 05 प्रतिशत नक्शो का स्थल निरीक्षण कर नक्शो की प्रमाणिकता की जांच करेंगे।
3. वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा कराये जाने वाले डिजिटाईज्ड नक्शो की पुष्टि एवं कार्य प्रगति की समिक्षा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना (आंचलिक) के द्वारा की जायेगी।
4. प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये श्री आकाश डेकाटे, जीआईएस विशेषज्ञ (सू.प्रौ.) जिनका दूरभाष क्रमांक 9424542117 है, से संपर्क कर सकते हैं।

(प्रारूप प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित।)
संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अनुराग श्रीवास्तव)
अ.प्र.मु.व.सं. (सूचना प्रौद्योगिकी)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक / सू.प्रौ. / 716 भोपाल, दिनांक 13/07/18

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) की ओर सूचनार्थ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (आंचलिक) भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू.–अभिलेख) की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त कार्य आयोजना अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त जीआईएस विशेषज्ञ, सूचना प्रौद्योगिकी शाखा की ओर सूचनार्थ।

अ.प्र.मु.व.सं. (सूचना प्रौद्योगिकी)
मध्यप्रदेश भोपाल